

16	9019	(i) नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेशन नेस्ल या ओरोनेस्ल मास्क, आईसीयू वेंटिलेटर के लिए (ii) केनुला, वेंटिलेटर के साथ प्रयोग किए जाने के लिए	2.5%
17	9025	ताप मापक उपकरण	2.5%
18	8702 या 8703	एंबुलेंसेस	6%

2. यह अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/63/2021-टीओ (टीआरयू-1) सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवसर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2021

No. 05/2021-Central Tax (Rate)

G.S.R. 405(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as “the said Act”), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), of the Table below, from the so much of the central tax leviable thereon under section 9 of the said Act, as in excess of the amount as specified in corresponding entry in column (4) of the aforesaid Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2804	Medical Grade Oxygen	2.5%
2	30	Tocilizumab	Nil
3	30	Amphotericin B	Nil
4	30	Remdesvir	2.5%
5	30	Heparin (anti-coagulant)	2.5%
6	3002 or 3822	Covid-19 testing kits	2.5%
7	3002 or 3822	Inflammatory Diagnostic (marker) kits, namely- IL6, D-Dimer, CRP (C-Reactive Protein), LDH (Lactate De-Hydrogenase), Ferritin, Pro Calcitonin (PCT) and blood gas reagents.	2.5%
8	3804 94	Hand Sanitizer	2.5%
9	6506 99 00	Helmets for use with non-invasive ventilation	2.5%
10	8417 or 8514	Gas/Electric/other furnaces for crematorium	2.5%
11	9018 19 or 9804	Pulse Oximeter	2.5%
12	9018	High flow nasal canula device	2.5%
13	9019 20 or 9804	Oxygen Concentrator/ generator	2.5%
14	9018 or 9019	Ventilators	2.5%
15	9019	BiPAP Machine	2.5%

16	9019	(i) Non-invasive ventilation nasal or oronasal masks for ICU ventilators (ii) Canula for use with ventilators	2.5%
17	9025	Temperature check equipment	2.5%
18	8702 or 8703	Ambulance	6%

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 30th September, 2021.

[F. No. CBIC-190354/63/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2021

सं. 05/2021-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 406(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) (एतश्मिन प्रश्नात जिसे “उक्त अधिनियम” से संदर्भित किया गया है) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो के अंतर्गत आती है, को उक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले एकीकृत कर से उस सीमा तक छूट देती है जितने से की वह उक्त सारणी के कॉलम (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक होती हो यथा:

सारणी

क्र.सं.	अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2804	मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन	5%
2	30	टोसीलीजुमेब	शून्य
3	30	एम्फोटेरिसिन बी	शून्य
4	30	रेमडेसीवीर	5%
5	30	हेपरिन (एंटी-कोआगुलंट)	5%
6	3002 या 3822	कोविड-19 टेस्टिंग किट्स	5%
7	3002 या 3822	इनफ्लोमेटरी डायग्नोस्टिक (मार्कर) किट्स, जैसे कि – आई एल 6, डी-डीमर, सीआरपी (सी-रिएक्टिव प्रोटीन), एलडीएच (लेक्टेट डी-हाइड्रोजीनेस), फेरीटीन, प्रो केलसीटोनीन (पीसीटी) और ब्लड गैस रिएजेंट्स	5%
8	3804 94	हैंड सेनेटाइजर	5%
9	6506 99 00	हेलमेट्स, नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन के साथ प्रयोग के लिए	5%
10	8417 या 8514	क्रिमेटरियम में प्रयोग के लिए गैस/इलेक्ट्रिक/ अन्य प्रकार की भट्टियां	5%
11	9018 19 या 9804	पल्स ऑक्सीमीटर	5%